

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

12 / 2018
12.01.2018


चरतलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
—अपीलान्त

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप
दिनांक 18.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



प्रस्थिति : (1) श्री राजकुमार मीणा, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 12.09.2018.

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2017 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा बाडा बनाकर नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांत की नोटिस पर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत को गवाहान से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है और न ही बयान लेखबद्ध करवाये गये है। अपीलांत द्वारा मौके पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का

4
जिला कलेक्टर
टोंक

पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त द्वारा ग्राम रोशनपुरा के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है० भूमि पर बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2016 से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अभिभाषक अपीलांत ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलांत ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2017 द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार सोप यह सुनिश्चित करले की अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.डेनवाल)

जिला कलेक्टर-टोंक
टोंक

